(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कुछ और कदम उठाने का विचार रखती है?

श्रम मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य में कृषि कर्मकारों के लिए संघ सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी योजनाएं नहीं हैं। तथापि, कर्मकारों सहित ग्रामीण कर्मकारों के कल्याण के लिए चलायी जा रही है कुछ प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:—

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)— इस योजना के अंतर्गत, आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविध प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न-भिन्न दरों पर आवधिक ऋण शामिल है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या क्रमशः 181083, 242673 और 210560 है।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)—इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। मध्य प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान रोजगार सृजन क्रमशः 709.66, 769.25 और 408.03 लाख श्रम दिवस था। इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है।

(iii) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)—इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है।

(iv) रोजगार आश्वासन योजना (ई०ए०एस०)— 2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पहचान किये गये पिछड़े ब्लाकों में रोजगार आश्वासन योजना नामक एक नई योजना देश में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि सीजन में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदरी रोजगार संबंधी शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। यह योजना अब 2443 ब्लाकों के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत वास्तविक प्राप्ति 2025 लाख श्रम दिवस थी।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना भी है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरुचि के अनुरूप आय बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982-83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राइसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने 18—60 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भूमिहीन कृषि कर्मकारों को बीमा परिधि में लाने के लिए एल आई सी की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना और 1988 में आई आर डी पी लाभानुभोगियों के लिए बीमा योजना जैसी अनेक बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें विविध पात्रता मानदंडों और पेंशन दरों के साथ वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं। हाल में, सरकार ने तीन संघटकों अर्थात् वृद्धावस्था पेंशन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आजीविका चलाने वाले मुखिया की मृत्यु के मामले में उत्तर जीवियों को लाभ और गरीब महिलाओं के लिए पहले दो जीवित बच्चों हेतु प्रसूति प्रसुविधा वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना चलायी है जिससे कृषि कर्मकारों को भी पर्याप्त लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कृषि कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मुहैया कराने के लिए शीघ्र ही एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने और उसे लागू करने पर भी विचार कर रही है।

Abolition of system of disposal of nightsoil by hand

799. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government plan to remove the system of disposal of nightsoil by hand by scavengers in traditional way;

(b) the number of villages in each State in which the system still exists;

(c) the time bound programme to remove the system;

(d) whether there is any scheme to rehabilitate the scavengers who have left scavening and if so, the details thereof;

(e) the amount spent on assistance for the rehabilitation programme by the Central Government and State Governments; and

(f) the number of scavengers that have taken advantage of the scheme uptill now?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): (a) Yes, Madam.

(b) Data on number of villages in each State having dry latrine system is not maintained at the Central level. Information received from State Government also indicates that such information is not readily available.

(c) National Scheme of Liberation and Rehabilitation of scavengers was launched in March, 1992 to eliminate this system by the end of Eighth Plan period *i.e.* 31st March, 1997.

(d) Yes, Madam. The scheme provides for:

—Time bound programme for identification of scavengers and their dependents and their aptitude for alternative trades through survey.

—Training in identified trades. Trainees are provided stipend at TRYSEM rates.

—The financial package for the rehabilitation provides for investment of upto Rs. 50,000/-. The capital subsidy of Rs. 10,000/- or 50% of the project cost whichever is less is provided by the Central Government. In addition, margin money loan of 15% of the project cost at concessional rate of interest of 4% is also provided. There is provision for Bank Loan for the remaining amount under the concessional DRI scheme to the beneficiaries.

(c) The Government of India has released Rs. 345.2 crores to the State Govts. for training and rehabilitation of scavengers, upto March, 1996.

(f) 1,24,370 scavengers were rehabilitated upto 31.3.95. The target for rehabilitation for the year 1995-96 was to rehabilitate 1,22,000 scavengers. It is expected that another 1,00,000 scavengers would be rehabilitated during the year 1996-97.

Export of textile machinery

800. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total foreign exchange earned through the export of textile machinery during 1994-95; and

(b) the steps taken by the Government to boost the export of textile machinery?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) The total value of foreign exchange earned through export of textile machinery during 1994-95 has been Rs. 197.19 crores.

(b) Promotion of exports has been the constant endeavour of the Government. Measures taken to boost exports of engineering goods including textile machinery, consist of various incentives under the Export-Import Policy including Duty Exemption Scheme, Export Promotion Capital Goods Scheme, Speical Import Licence, Duty Drawback Scheme, exemption under Section 80 HHC of income Tax Act, assistance from Market Development Fund. Engineering goods exporters also receive promotional support under the various activities of the Engineering Export Promotion Council.